37

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3956-एक/2012 - विरूद्व - आदेश दिनांक 22-10-2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार, तहसील सेवाढ़ जिला दतिया - प्रकरण कमांक 2 अ-70/2011-12

1- रामचरण पुत्र मान सिंह
2- बेताल सिंह पुत्र मान सिंह
3- तिलक सिंह पुत्र जगन्नाथ
4- करन सिंह पुत्र जगन्नाथ
5- भगवान सिंह पुत्र श्यामलाल
6- कोमल सिंह पुत्र रज्जू गुर्जर
सभी ग्राम गुमानपुरा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्व

1- राधेश्याम पुत्र कुन्दन गुर्जर
2- हरिशॅकर पुत्र रज्जू गुर्जर
ग्राम गुमानपुरा तहसील सेवढ़ा
जिला दतिया मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 2-08-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22-10-12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 369/245 एंव 195 पर से आवेदकगण का बेजा कब्जा वापिस दिलाने की मांग की, जिस पर से तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया ने प्रकरण क्रमांक 2 अ-70/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 22-10-12 पारित किया तथा अनावेदकगण की भूमि पर से आवेदकगण का बेजा कब्जा हटाये जाने के आदेश देते हुये रू. एक एक हजार के बंध पत्र निष्पादित करने के आदेश दिये। तहसीलदार सेवढ़ा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक को सुनना चाहा, किन्तु उन्होंने निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर तथा प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निर्णय देने की मंशा जाहिर की। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा के प्रकरण क्रमांक 2 अ-70/2011-12 में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि मौजा बालमपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 369/245 एंव 195 अनावेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसका उन्होंने राजस्व निरीक्षक से दिनांक 27-6-12 को सीमांकन कराया है तथा सीमांकन के समय उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनके स्वत्व की भूमि के अंश रकबे पर आवेदकगण अतिक्रमणकर्ता है जिसके कारण उन्होंने तहसीलदार को संहिता की धारा 250 का आवेदन देकर कब्जा वापिस दिलाने की मांग की है। तहसीलदार सेवढ़ा ने आदेश दिनांक 22-10-12 के पद 4 में विवेचित किया है कि प्रकरण में आपत्तिकर्ता की आपत्ति का मनन किया गया। उनके व्दारा आपत्ति सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत की गई है जबकि सीमांकन के सम्बन्ध में अनावेदक के व्दारा तत्समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई । सीमांकन के दौरान ही अनावेदकगण की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है यदि आवेदकगण राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन को उचित नहीं मानते थे तब उन्हें सीमांकन को चुनौती देना थी, किन्तु वर्तमान परिस्थिति में सीमांकन आदेश अंतिम हो चुका है

जिसके अनुसार अनावेदकगण की भूमि के आवेदकगण बेजा कब्जेदार है तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा ने आदेश दिनांक 22-10-12 पारित करके अनावेदकगण की भूमि पर से आवेदकगण का बेजा कब्जा हटाये जाने के आदेश देते हुये रू. एक एक हजार के बंध पत्र निष्पादित करने के आदेश दिये है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होने से निगरानी सारहीन है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-70/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 22-10-12 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर